यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

मा–पत्र संख्या :–254 / 2022 दायर दिनांक: 31.10.2022

GCMS NO:- 2022/457 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. कनिजा बानों पत्नी कमरूद्दीन जाति मुसलमान नि0 मरां तहसील नैनवॉ।
2. मुमताज बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन जाति मुसलमान तेली नि0 मरां तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 27.5.2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीया संख्या 1 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम फतेहपुरा प.म. मरां तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 447/277 रकबा 0.4854 हैक्टयर, खसरा नम्बर 450/277 रकबा 1.6180 हैक्टयर भूमि स्थित है तथा प्रार्थीया संख्या 2 के खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की तरमीमशुदा कृषि भूमि ग्राम फतेहपुरा प.म. मरां मे खसरा नम्बर 477/277 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नम्बर 480/277 रकबा 0.6472 हैक्टयर स्थित है।

यह कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि जो चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित है, पर आने जाने व कृषि सामानों को लाने ले जाने के लिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज नही होने से प्रार्थीगण को खेती काश्त मे भारी समस्या का सामना करना पडता है। कभी कभी तो भूमि पडत भी रह जाती है जिससे प्रार्थीगण के भुखे मरने की नोबत आ गयी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 च 2 पर आने जाने के लिए अप्रार्थी सरकार के ग्राम मरां के खसरा नम्बर 322 के दक्षिणी साईड की ओर परिशिष्ट अ मे दर्शाये गए रास्ते ए से बीप र होकर रास्ता निकलता था, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन नही होने के कारण कोई भी व्यक्ति रास्ता अवरूद्ध कर देता है, जिसके बारे मे प्रत्यार्थी से भी कई बार रास्ते के लिए लिखित निवेदन किया, लेकिन रास्ता नही दिया। उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 447/277, 450/277, 477/277, 480/277 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 322 मे होकर परिशिष्ट अ मे अंकित ग्राम मरां के ए से बी चौडाई 15 फीट के लिए प्रार्थीगण प्रतिकर राशि अदा करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस एकपक्षीय सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 447/277, 450/277, 477/277, 480/277 पर जाने के लिए खसरा नम्बर 322 मे होकर परिशिष्ट अ मे अंकित ग्राम मरां के ए से बी चौडाई 15 फीट रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी बहस को ध्यानपूर्वक सूना। बहस मे किये गए विवेचन, प्रार्थना–पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबन्दी व रास्ते के सम्बंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा खसरा नम्बर 447/277, 450/277, 477/277, 480/277 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीगण का खसरा नम्बर 477/277 जो कि खसरा नम्बर 283 किस्म गै0मु0 रास्ता के लगवा ही है अतः प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 477/277 पर पहुंचने के लिए पहले से ही रास्ता राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ